



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, फोन- 0141-2552796

क्रमांक : प.14 (17)RSMSSB / अर्थना / ज.सं.वि. (गै.अनु.क्षे.) / 2016 / पार्ट-II / 3006

दिनांक : 11.07.2018

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम-1967 के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग के लिए कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिग्री/डिप्लोमा) (गैर अनुसूचित क्षेत्र) सीधी भर्ती परीक्षा-2016 में बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिग्री/डिप्लोमा) के पद पर पदस्थापन के पश्चात कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर प्रतिक्षा सूची से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों का डेढ गुणा अभ्यर्थियों को केवल पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के लिये सूचीबद्ध किया गया था। इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के लिये दिनांक 30.05.2018 को प्रातः 10.00 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल, सिंचाई भवन, मालवीय नगर, जे.एल. एन. मार्ग, जयपुर-302017 पर पात्रता की जांच हेतु आवश्यक रूप से उपस्थित होने हेतु बोर्ड के कार्यालय आदेश क्रमांक प.14(17)RSMSSB / अर्थना / ज.सं.वि.(गै.अनु.क्षे.) / 2016 / पार्ट-II / 1624 दिनांक 21.05.2018 द्वारा सूचित किया गया था। इनमें से निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिये अनुपस्थित रहे हैं।

अतः अनुपस्थित रहे इन निम्नलिखित रोल नम्बर वाले अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से इस आदेश के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 16.07.2018 को प्रातः 10.00 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल, सिंचाई भवन, मालवीय नगर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302017 पर आवश्यक रूप से उपस्थित हों अन्यथा कनिष्ठ अभियन्ता सिविल (डिग्री/डिप्लोमा) के पद पर डेढ गुणा अभ्यर्थियों की पूर्णतया अनन्तिम (Purely Provisional) सूची में सूचीबद्ध किया गया उनका नाम निरस्त कर दिया जावेगा। इसके बाद उनको कोई अंतिम अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा :-

रोल नम्बर

कनिष्ठ अभियन्ता सिविल (डिग्रीधारक) (गैर अनुसूचित क्षेत्र)

301091 301238 302560 303008 303115 303699 305651 305654 306224
306879 307662 312587 313121 313286 313607 314730 315090

कनिष्ठ अभियन्ता सिविल (डिप्लोमाधारक) (गैर अनुसूचित क्षेत्र)

401922 402351 406926 407552 411255 412963

उक्त अभ्यर्थी पात्रता की जांच के समय अपने साथ विस्तृत आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) भरकर लायेंगे। साथ ही अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, राष्ट्रीयता, सेवारत होने संबंधी मूल प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज एवं इनकी दो स्वप्रमाणित प्रति तथा स्वयं का पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ लायेंगे।

शेष शर्तें बोर्ड द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक प.14(17)RSMSSB / अर्थना / ज.सं. वि.(गै.अनु.क्षे.) / 2016 / पार्ट-II / 1624 दिनांक 21.05.2018 के समान यथावत रहेगी।

(डॉ.बी.एल.जाटावत)

अध्यक्ष